भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2431

10 अगस्त 2026 को उत्तर के लिए

पूर्व सैनिकों एवं शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

2431. श्री महेंद्र भट्ट:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पूर्व सैनिकों और शहीदों के आश्रितों के कल्याण हेतु कार्यान्वित योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों की संख्या तथा सरकार द्वारा किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) और (ख) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग अपने संबद्ध कार्यालयों, नामतः केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) और पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों /विधवाओं/युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और उनके पात्र आश्रितों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों का कार्यान्वयन करता है। इन योजनाओं/पहलों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों/दरों/अनुदानों आदि को समय-समय पर उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाता है।

केएसबी, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करता है और दरिद्रता अनुदान, शिक्षा अनुदान, दिव्यांग बाल अनुदान, पुत्री विवाह अनुदान, विधवा पुनर्विवाह अनुदान, चिकित्सीय उपचार अनुदान, अनाथ अनुदान, विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान, गंभीर और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए अनुदान, दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों (जेसीओ रैंक तक के लिए लागू) को मॉडिफाइड स्कूटर खरीदने के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है और गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है (जेसीओ

रैंक तक के लिए लागू) । इसके अलावा, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत, पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए योग्यता के आधार पर पात्र बच्चों को प्रति वर्ष 5500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। केएसबी भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्स्थापन में शामिल संस्थानों जैसे कि किर्की और मोहाली में पैराप्लेजिक पुनर्स्थापन केन्द्र, देहरादून में अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ, लखनऊ, देहरादून और दिल्ली में चेशायर होम्स और 36 युद्ध स्मारक छात्रावासों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए 42 एमबीबीएस और 3 बीडीएस सीटों का आरक्षण भी किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के विगत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों के आवेदनों की संख्या औऱ केएसबी द्वारा उनको वितरित सन्निकट राशि का ब्यौरा अनुबंध-1क में दिया गया है।

डीजीआर, अखिल भारतीय स्तर पर भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांग सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए कई पुनर्वास योजनाएं और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है ताकि उनकी इच्छा, पात्रता मानदंडों को पूरा करने और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर रोज़गार के अवसर प्रदान किए जा सकें। वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान डीजीआर की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्रमशः 55516, 60816 और 69397 है। वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान डीजीआर की कौशल विकास पहलों के तहत प्रशिक्षित अधिकारियों, जेसीओ और अन्य रैंकों (और भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के समकक्ष रैंक) की संख्या क्रमशः 9123, 11588 और 16901 है। वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा पुनर्वास योजनाओं और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किए गए व्यय का ब्यौरा अनुबंध-1ख में दिया गया है।

इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) सरकार की एक विशेष पहल है जो भूतपूर्व सैनिकों और उनके पात्र आश्रितों को नकदरहित और सीमारहित चिकित्सीय उपचार प्रदान करती है। ईसीएचएस को भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के एक संबद्ध कार्यालय, नामतः केन्द्रीय संगठन भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, द्वारा प्रशासित किया जाता है, और यह देशभर में निजी पैनलबद्ध और सरकारी अस्पतालों के सहयोग से सशस्त्र सेनाओं की मौजूदा चिकित्सीय अवसंरचना का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है। ईसीएचएस, देश भर में फैले हुए 30 क्षेत्रीय केंद्रों (आरसी) और 448 पॉलीक्लीनिकों (पीसी) के माध्यम से संचालित होता है। दिनांक 03.08.2026 की स्थिति के अनुसार, ईसीएचएस कवर के तहत 66,74,918 प्राथमिक और आश्रित लाभार्थी हैं। वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा अनुबंध-1ग में दिया गया है।

"पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं" के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2431 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध 1क, 1ख और 1ग

अनुबंध-1क

केएसबी - वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के विगत तीन वर्षों के दौरान आवेदनों की संख्या और केएसबी द्वारा लाभार्थियों को संवितरित सन्निकट राशि संबंधी विवरण।

वित्त वर्ष	**आवेदनों की संख्या**	**व्यय (करोड़ रु. में)**
2023-24	1,71,893	364.47
2024-25	1,78,091	370.16
2025-26	68,974	169.65

अनुबंध-1ख

डीजीआर - सरकार द्वारा पुनर्वास योजनाओं और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान किए गए व्यय का विवरण।

वित्त वर्ष	**व्यय (करोड़ रु. में)**
2023-24	27.02
2024-25	33.77
2025-26	60.80

अनुबंध -1ग

ईसीएचएस - सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का विवरण।

वित्त वर्ष	**व्यय (करोड़ रु. में)**
2023-24	9,831
2024-25	10,899
2025-26	14,845
